न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 222/24 निर्णय दिनांकः 31-01-2025
(जीसीएमएस संख्या 2024/268)

1. मंजूरा पत्नी मंजूर खां जाति मुसलमान निवासी चक 3 के एच एम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. लाल खां पुत्र श्री अलाबसाया जाति मुसलमान निवासी सियासर चौगान तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 13—02—2024
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितिः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जयचंद लाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 13—02—2024 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे के चिपते मिडियम पेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट् की खातेदारी भूमि चक 2 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 88/62 के किला नम्बर 1ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल तादादी 21 किलों में 5.3109 हैक्टेयर खातेदारी भूमि है। उक्त खातेदारी भूमि के चिपते मुरब्बा नम्बर 108/6 में किला नम्बर 1 ता 18 कुल 4.6763 हैक्टैयर भूमि अराजीराज दर्ज थी। उक्त अराजीराज भूमि के मिडियम पेच आवंटन हेतु इस मुरब्बे मे समीपस्थ के काश्तकार हकदार थे मगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि दूसरे चक 14 पी बी का निवासी है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में वादगत चक में कोई भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात तहसील स्तर से वादगत भूमि की रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट में चिपते काश्तकारों का वर्णन किया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मुरब्बा भी दर्शाया गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में विवादित चक में कोई भूमि ही नहीं है। मौका रिपोर्ट भी चक 14 पीबी के अनुसार की गई एवं सार्वजनिक सूचना एवं सार्वजनिक नोटिस भी चक 14 पीबी के बाबत जारी हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत भूमि का आवंटन करने में अनियमितता हुई है तथा आवंटन नियमों की अनदेखी करते हुए केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत भूमि का आवंटन करने की गरज से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन करने से पूर्व दिनांक 29–12–2023 की आदेशिका में अंकित किया गया है कि पत्रावली सार्वजनिक सूचना तामील व सीलींग शपथ पत्र प्राप्त होने पर पेश हो। जिसके बाद सीधे पत्रावली 08–02–2024 को प्रस्तुत हुई है मगर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल चालान संख्या 84913627 है जिसके जमा होने की दिनांक 23–01–2024 है इस प्रकार जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13–02–2024 को चालान जमा करवाने बाबत आदेश प्रसारित होता है तो रेस्पोडेन्ट राजकोष में चालान आदेश की दिनांक से करीब एक माह पूर्व ही कैसे जमा करवा देता है। चूंकि वादगत् मुरब्बें के समीपस्थ अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन मिडियमपेच आवंटन नियमों के विपरीत होन से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्ध जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2001 पेज 187, आरबीजे 1996 पेज 476, आरआरडी 1994 पेज 356 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 13–02–24 को किया गया था। उक्त आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि जोकि विधिवत आवंटित भूमि रही है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 15–02–2024 को आवंटन पट्टा जारी कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट ने अपने धारण की भूमि 14 पीबी में बतायी है जबकि आवेदित भूमि चक 2

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

एसएसएम में बतायी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट एवं सार्वजनिक सूचना चक 14 पीबी की जारी की गई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि के आवंटन आदेश में भी चक 14 पीबी अंकित किया गया इसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कोई गलती नहीं है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आवंटन आदेश में संशोधन करने के आदेश जारी किये गये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि दर्ज राजस्व रिकोर्ड है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 13—02—2024 के विरूद्ध अपील 03—05—2024 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट् को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 2 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 108/6 के किला संख्या 1 ता 18 का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के उपरान्त समीपस्थ काश्ताकारों की रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें उक्त रिपोर्ट चक 14 पीबी अंकित करते हुए बनाई गई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में भूमि का वर्णन किया। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में भूमि चक 14 पीबी में है तथा वादगत भूमि चक 2 एसएसएम में है। उसके पश्चात हल्का पटवारी रिपोर्ट भी चक 14 पीबी अंकित करते हुए तैयार की गई है जिसमें रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि चक 14 पीबी के सैल रजिस्टर अनुसार रिपोर्ट पेश है परन्तु वादगत भूमि तो चक 2 एसएसएम की है। इस कार्यवाही के पश्चात समीपस्थ काश्तकारों को नोटिस जारी किया जाना अंकित किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में केवल एक समीपस्थ काश्तकार के नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें भी भूमि चक 14 पीबी की अंकित की है एवं इसी दिनांक को ही सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में चक 14 पीबी ही अंकित है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन आदेश भी चक 14 पीबी का किया जाता है उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में संशोधन करते हुए चक 2 एसएसएम कर दिया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध चालान का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार चालान दिनांक 23–01–2024 को राजकोष में जमा करवाया जाना अंकित है जबकि आदेशिका में चालान जारी करने की दिनांक 13–02–2024 अंकित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि समीपस्थ काश्तकारों को नोटिस एवं सार्वजनिक सूचना गलत चक अंकित होने के कारण सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 13–02–2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31-01-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर